न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व वाद संख्या 36/2010

श्री घीसा पुत्र ज्वारा जाति गुर्जर उम्र 70 साल निवासी हनुतिया हाल जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला– अजमेर राज0

————वादी

ब ना म

1– श्री चम्पा पुत्र श्री हीरा जी
2– श्री गज्जू पुत्र श्री हीरा जी
3– श्रीमति पानी धर्मपत्नि श्री हीरा जी
4– श्री गोपाल पुत्र घासी जी
5– श्री कल्याण पुत्र घासी जी
6– श्री नारायण पुत्र घासी जी
7– श्रीमति मूली पत्नि घासी जी
8– श्री बरमा पुत्र हरदेव जी
9– श्री चन्ना पुत्र हरदेव जी
10– श्री हगामा पुत्र हरदेव जी
समस्त जाति जाट निवासीयान हनुतिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 16.2.2018

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है, कि मौजा ग्राम हनुतिया तहसील मसूदा हाल तहसील विजयनगर जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा नंबर 2283, 2317, 2318, 2319 के वादी खातेदार काश्तकार जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के अनुसार चला आ रहा है। प्रतिवादीगण बिना अधिकार के जबरन वादी की वृद्धावस्था का लाभ उठाते हुये 11 जून 2009 के हल हॉक कर कब्जा कर लिया और वादी को खेत पर जाने पर जान से खत्म करने की धमकी दी है। वादी ने प्रतिवादीगण को उसके वकील के मार्फत कब्जा छोडने को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.01.2010 को दिलवाया लेकिन प्रतिवादीगण ने वादी के नोटिस का ना तो जवाब ही दिया और ना कब्जा छोडा। प्रतिवादीगण का उक्त विवादित भूमियो से कोई वास्ता व सरोकार नही है। फिर भी जबरन कब्जा जमाये हुये और वादी को हांकने से इन्कार कर रहे है। इसलिये इस वाद की आवश्कया हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि विवादित भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे और कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावे। तथा प्रतिवर्ष का हर्जाना काश्त के 5000/– रूपये ताफैसला एंव कब्जेयाबी तक का वादी को दिलाया जावे।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को नकारते हुये जवाबदावा पेश कर निवेदन किया है, कि प्रतिवादीगण के पूर्वज हीरा, घासी, हरदेव पिसरान सबला ने गांव के मौतबीर लोगो की मौजूदगी में दिनांक 30.09.1978 से खरीद की थी जिसकी लिखापढी भी उसी समय गांव के मौतबीर लोगो की मौजूदगी में की गई थी उसी समय से वादग्रस्त आराजी का कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का निरन्तर निर्बाध उपयोग उपभोग में चली आ रही है। अब जमीनो की कीमते बढ गई है व काफी बार वादग्रस्त आराजी की रजिस्टरी करवाने हेतू हमारे पूर्वजो व हमारे द्वारा वादी को निवेदन किया जा चुका है, लेकिन वादी की नियत बद्व होने के कारण बार बार टालमटोल करता आ रहा है। वादी द्वारा दिया गया

.....लगातार

नोटिस प्रतिवादीगण को कभी नही मिला। वादी की नियत बद्व होने के कारण झूंठे तथ्यो पर आधारित वाद पेश कर प्रतिवादीगण को खरीदशुदा वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है अतः वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जावे।

प्रकरण में दावे व जबावदावे के अनुसार दिनांक 05.10.2011 को अनुतोष सहित 4 तनकियात कायम की गई।

प्रकरण में साक्ष्य वादी तलब की गई। साक्ष्य वादी में घीसा पुत्र ज्वारा जाति गुर्जर निवासी हनुतिया एंव कानाराम पुत्र हीरा जी गुर्जर निवासी हनुतिया का शपथ पत्र पेश किया जिसमें वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दावा स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्धारा दिनांक 05.01.2018 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई और प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई जिसमें वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्धारा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण में कायम तनकीयात निम्नप्रकार से तय की जाती है।

तनकी नंबर 1:– आया वादी मौजा हनुतिया के खसरा नंबर 2283, 2317, 2318, 2319 खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री बेदखली के जरिये कब्जा हटवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है, वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खाता संख्या 131 में वर्णित खसरा नंबर 2283, 2317, 2318, 2319 का वादी घीसा पुत्र जुवारा कौम गुजर खातेदार काश्तकार होना पाया जाता है। तथा वादी द्धारा प्रतिवादी चम्पा, गोपाल, बरमा को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 01.01.2010 में कब्जा हटाने बाबत नोटिस दिया जाना पाया जाता है। तथा नोटिस को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया उसकी पोस्टल रसीद प्रस्तुत की है, तथा लिफाफा उक्त प्रतिवादी द्धारा नही लिये जाने का इन्द्राज होना पाया गया। जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है, और ना ही ऑन ऑथ न्यायालय में बयान प्रस्तुत किये गये है ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय पाई जाती है।

तनकी नंबर 2:– आया वादी वादग्रस्त भूमि की ताफैसला वाद 5000/– रूपये प्रतिवर्ष के हर्जाना बतौर काश्त का प्राप्त करने का अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था किन्तु वादी ने उक्त हर्जाने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया गया। जबकि वादी द्धारा जो 5000/– रूपये प्रतिवर्ष हर्जाना की रांशि क्लेम की है, जो प्रकरण की मौजुदा परिस्थिति में न्यायालय द्धारा दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। इसलिये उक्त तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राजस्थान

तनकी नंबर 3:– आया प्रतिवादीगण प्रतिवाद पत्र में दर्शित कारणो के आधार पर वाद खारीज कराने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है, तथा जो जवाबदावे में कथन किया है, उसके विषय में कोई ऑन ऑथ बयान भी प्रतिवादीगण द्धारा प्रस्तुत नही किये गये है, ऐसी स्थिति के पत्रावली पर उपस्थिति दस्तावेजी साक्ष्यो के अनसार

तनकी नंबर 4:— अनुतोष?

उक्त विवेचन के अनुसार तनकी नंबर 1 व 3 वादी के हक में तय की जा चुकी है। इसलिये वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा हनुतिया तहसील मसूदा हाल तहसील विजयनगर में स्थित खसरा नंबर 2283, 2317, 2318, 2319 से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर उसका कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेश पारीत किये जाते है। तथा तहसीलदार विजयनगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार पालना करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.2.18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 17:49:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: